

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्यामलाल

बनाम शोपाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 178/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12.5.25	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती ..... श्यामलाल</p> <p>पिता श्री ..... प्रताप देवी</p> <p>निवासी- कलसर वरन्नी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम ..... कलसर वरन्नी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... 372</p> <p>कुल कीता ..... 1 ..... कुल रकबा ..... 0.5900 है० की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम कलसर वरन्नी स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर ..... 372</p> <p>कुल कीता ..... 1 ..... रकबा 0.5900 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क ..... 500 ..... रुपये अक्षर पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सहस्र)  सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>